# पंचदश बिहार विधान सभा

## अष्टम् सत्र

## ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचनायें बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-01.03.2013 के लिए अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है ।

| क्र० सं० | सदस्य का नाम | विषय | विभाग |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | श्री कन्हैया कुमार, स०वि०स०<br>श्री कौशल यादव, स०वि०स०<br>श्रीमती पूर्णिमा यादव, स०वि०स०<br>श्री वीरेन्द्र सिंह, स०वि०स०<br>श्री ललन राम, स०वि०स०<br>श्री कुमार शैलेन्द्र, स०वि०स०<br>श्री ललन कुमार, स०वि०स०<br>श्री सबा जफर, स०वि०स० | ''नवादा जिला के सिरदला प्रखण्ड के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के द्वारा सरकार के माध्यम से चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं में घोर अनियमितता बरती जा रही है । वर्ष 2011-12 में कन्या विवाह योजना में मुखिया पर दबाव बनाकर बिचौलिया के कहने पर पूर्व से स्वीकृत लाभार्थी को चेक ना देकर नये लाभार्थी को चेक दिया गया है । इन्दिरा आवास वितरण में प्रतिक्षा सूची क्रमांक को तोड़कर स्वीकृति दी गई है । प्रखण्ड से कार्यान्वित बी०आर०जी०एफ० योजना में वित्तीय वर्ष 2011-12 में लम्बित पूर्ण योजना में राशि का भुगतान न कर वित्तीय वर्ष 2012-13 की योजनाओं की स्वीकृति देकर कार्य कराया जा रहा है एवं कबीर अन्त्येष्टि योजना में प्रखण्ड कार्यालय में शिविर लगाकर भुगतान करने का पत्र देते हैं । 26 जनवरी को झण्डोत्तोलन के नाम पर सभी पंचायत सचिव से दो से तीन हजार रूपये लिया गया जिससे संबंधित लिखित आवेदन पंचायत सचिव के द्वारा जिला पदाधिकारी एवं नवादा अनुमंडल पदाधिकारी, रजौली को दिया गया है । 15 पंचायत के मुखिया के द्वारा उक्त वर्णित तथ्य का लिखित आवेदन प्रमंडलीय आयुक्त, गया, जिला पदाधिकारी, नवादा एवं विभागीय मंत्री, पटना को दिया गया ।<br>अत: भ्रष्ट प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के विरूद्ध कठोर कार्रवाई करने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।'' | ग्रामीण विकास |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 2. | श्री सुमित कुमार सिंह, स०वि०स०<br>श्री नरेन्द्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह, स०वि०स०<br>श्री आलोक रंजन, स०वि०स०<br>श्री गजानन्द शाही, स०वि०स०<br>श्री अजय प्रताप, स०वि०स०<br>श्री सतीश कुमार, स०वि०स०<br>श्री प्रभात रंजन सिंह, स०वि०स०<br>श्री पवन कुमार जायसवाल, स०वि०स० | ''राज्य महादलित आयोग के तृतीय अनुशंसा के आलोक में सामान्य प्रशासन (रा० एवं प्रशासनिक सुधार) विभाग ने ज्ञापांक संख्या-11, दिनांक-18.11.2009 के माध्यम से चमार जाति को महादलित जातियों में शामिल किया, जिन्हें महादलित श्रेणी में मिलने वाली सारी विशेष सुविधाएँ समान रूप से देय हैं । विकास मिशन के तहत वर्ष 2011-12 में विकास मित्र की बहाली में राज्य महादलित आयोग के द्वारा जारी लिस्ट में चमार (रविदास) जाति शामिल हैं जिसके लिए शैक्षणिक योग्यता 5वीं कक्षा पास अनिवार्य था । जमुई जिला में बाल हितैषी टोला शिक्षकों (सेवक) के रूप में रविदास जाति के लोगों को 10 माह का मानदेय देने के पश्चात् जिला कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा विगत 18 माह से बेवजह मानदेय पर रोक लगा दिया गया जबकि अन्य जिलों में भुगतान किया जा रहा है । विदित है कि याचिका संख्या सी.डब्लू.जे.सी. 19997/2012 में माननीय उच्च न्यायालय का स्पष्ट निर्णय है कि रविदास जाति टोला सेवक को मानदेय के साथ सेवा से जुड़े रखना है, फिर भी रविदास जाति को मानदेय से वंचित रखकर उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है ।<br>अत: जमुई जिला के रविदास जाति के लोगों को बकाया मानदेय का भुगतान करने एवं दोषी पदाधिकारी पर कार्रवाई करने हेतु हम सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।'' | ग्रामीण विकास |

फूल झा
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-9/13- 165 / वि०स०, पटना, दिनांक- 28 फरवरी, 2013 ई० ।

प्रति :- बिहार विधान सभा के सदस्यगण / मुख्य मंत्री / मँत्रिगण / मुख्य सचिव, बिहार एवं राज्यपाल के प्रधान सचिव / लोकायुक्त के आप्त सचिव / सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना / संसदीय कार्य विभाग / ग्रामीण विकास विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

28/02/13

(राजकुमार रजक)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-9/13- 165 / वि०स०, पटना, दिनांक- 28 फरवरी, 2013 ई० ।

प्रति :- अवर सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय / अपर आप्त सचिव, उपाध्यक्षीय कार्यालय / अवर सचिव, सचिवीय कार्यालय / निजी सहायक, संयुक्त सचिवीय कार्यालय को क्रमश: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रभारी सचिव एवं प्रभारी संयुक्त सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित ।

28/02/13

(राजकुमार रजक)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।